के लोगों से किये जा रहे भेदभावपूर्ण वर्ताव के प्रश्न पर उनसे चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस संबंध में दोनों देशों द्वारा अनुसरण की जाने वाली सक्रिय नीति संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी): (क) और (ख) जी हां। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की 9 से 12 फरवरी, 1989 तक भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। हमने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया था।

(ग) यद्यपि दोनों सरकारें इस विषय के बारे में सम्पर्क बनाए रखेंगी परन्तु नीतियों को समन्वित करने का प्रस्ताव नहीं है। 20.9.1988 को भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी वक्तव्य की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, (नीचे देखिये)। इस यात्रा के दौरान इस विषय पर आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के वक्तव्यों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था।

सरकारी वक्तव्य

भारत सरकार ने फिजी की अन्तरिम सरकार द्वारा अनुमोदित फिजी के संविधान के मसौदे की मुख्य बातों पर गौर किया है। यद्यपि मसौदे का पूरा पाठ अभी प्राप्त होना है, परन्तु अभी तक उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि प्रस्तावित संसद में विभिन्न समुदायों के न्यायोचित और समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री डा० बावेन्द्रा ने कहा है कि " इस संविधान में एक ऐसे देश में भारतीय लोगों के दर्जे को घटाकर तीसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है जहां उनकी आबादी कुल आबादी का 50 प्रतिशत है"। भारत सरकार को यह नोट करके खेद हुआ है कि ऐसा बताया जाता है कि इस मसौदे में संसद में सभी चुनी हुई सीटों के लिए साम्प्रदायिक मताधिकार को स्वीकार करने जैसे कई ऐसे प्रावधान हैं जो अलोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण और शांति, स्थिरता और जातीय सामंजस्य के हितों के लिए हानिकर हैं।

भारत सरकार इस बात पर गौर करती है कि अन्तरिम सरकार ने कहा है कि संविधान के मसौदे पर परामर्श की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। भारत सरकार को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होगी ताकि जनसंख्या के सभी वर्गों के लोग एक ऐसा संविधान तैयार करने में अपना योगदान कर सकें, जो सभी को स्वीकार्य हो। इस संदर्भ में भारत सरकार आन्तरिक सुरक्षा आदेश को रद्द करने की अपनी मांग दोहराती है।

Demand for stoppage of Golkonda Express at Garla

112 SHRI RAM NARESH YADAV: SHRI YASHWANT SINHA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the people of Khamman in Andhra Pradesh for the stoppage of ½ Golkonda Express and 55/56 Narsapur-Secunderabad Express at Garla Railway Station in S. C. Railway;

(b) whether Government have considered the said demand; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) to (c) Yes, Sir. Stoppage of ½ Golkonda Express has been provided at Garla on experimental basis for four months with effect from 1.1.1989. However, stoppage of 55/56 Narsapur-Secunderabad Express has not been found operationally feasible.

प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट

113. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट भी नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुल प्राथमिक विद्यालयों में से 35 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों से सिर्फ एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में एक श्यामपट्ट उपलब्ध कराने और प्रत्येक विद्यालय में प्रति 45 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की नियुक्ति करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है और क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० साही): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तारीख के रूप में आयोजित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की 33.75% कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड नहीं थे तथा 27.96% प्राथमिक स्कूल एकल अध्यापक वाले स्कूल थे।

(ग) और (घ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को 1987-88 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य एक चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इस योजना के दो महत्वपूर्ण घटक हैं: (क) सभी एकल शिक्षक वाले स्कूलों में दूसरे शिक्षक का प्रावधान (ख) ब्लैकबोर्डों सहित अनिवार्य अध्ययन-अध्यापन उपस्करों का प्रावधान करना। वर्ष 1987-88 के दौरान, 24 राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेशों के 20% खण्डों/नगरपालिका खण्ड क्षेत्रों में 113417 प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया। 110.61 करोड़ रुपए मुक्त किए गए जिनमें से एकल शिक्षक वाले स्कूलों में 36891 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 29.छठ करोड़ रुपये तथा ब्लैक बोर्डों सहित उपस्करों के लिए 81.13 करोड़ रुपये दिए गए। चालू वर्ष में 30% खण्डों/नगरपालिका क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन

114. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि आवंटित की गयी थी, और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस धनराशि में से अभी तक बहुत कम धनराशि ही दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि दी गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष राशि कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1963 70 करोड़ रु० (वर्ष 1985-90 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 233.25 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 1730.45 करोड़ रु०) की राशि आवंटित की गई। प्राईमरी शिक्षा के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया था। योजना आयोग के अनुसार इसने योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों के लिए निम्न प्रकार से 1471 करोड़ रु० की राशि अनुमोदित की है:—

(करोड़ रु० में)

1985-86	237.00
1986-87	329.00
1987-88	406.00
1988-89	499.00
कुल	1471.00

वर्ष 1989-90 के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के